



**भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 जनवरी 2026

**भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 90-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर)
नीलामी आयोजित करेगा**

जैसा कि [23 जनवरी 2026 की प्रेस प्रकाशनी 2025-2026/1984](#) के माध्यम से घोषित किया गया है, रिज़र्व बैंक, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा:

क्रम संख्या	अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (दिन)	समयावधि	प्रत्यावर्तन की तारीख
1	25,000	90	पूर्वाह्न 9:30 से पूर्वाह्न 10:00	30 अप्रैल 2026 (गुरुवार)

2. भारतीय रिज़र्व बैंक की [दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572](#) में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

3. प्रतिभागियों के पास उपर्युक्त नीलामी में उधार ली गई राशि को पूर्व-चुकोती करने का विकल्प होगा और इसके लिए परिचालनगत दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

- पूर्व-चुकोती संबंधी अनुरोध मुंबई में कार्य दिवस पर 09:00-17:00 बजे के दौरान केवल ईकुबेर पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।
- पूर्व-चुकोती संबंधी अनुरोध प्रत्यावर्तन की मूल तारीख से कम से कम 2 दिन पहले किए जा सकते हैं।
- आंशिक पूर्व-चुकोती की अनुमति नहीं होगी।
- एकबार ईकुबेर पोर्टल में पूर्व-चुकोती के लिए अनुरोध किए जाने के बाद उसे वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (फोन: 022-2263 0982/2263 0008) को [ई-मेल](#) के माध्यम से सूचित करना होगा।
- पूर्व-चुकोती का निपटान, अनुरोध करने की तारीख के बाद अगले कार्य दिवस पर 'दिन के शुरुआत' में किया जाएगा।

- vi) चुकौती की तारीख को रिज़र्व बैंक के साथ प्रतिभागी के चालू खाते से मूल राशि और उधार अवधि के लिए उपचित ब्याज की राशि नामे की जाएगी। संपार्श्विक के रूप में दी गई प्रतिभूतियों को सहभागी के रेपो घटक एसजीएल खाते में वापस कर दिया जाएगा।

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1998

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)